कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य

बनाम

डोमको स्मोकलेस फ्यूल्स (प्रा.) लिमिटेड

15 मई, 2007

[एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, न्यायमूर्तिगण]

कोयला-कोयले की आपूर्ति के आश्वासन पर धुआँ रहित ईंधन इकाई स्थापित करना-कोयला श्रृंखला-हस्तांतरण-इकाई द्वारा मांगा गया-इससे इनकार--अध्यादेशित- उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण हेतु निर्देश-सर्वोच्च न्यायालय में अपील- अपीलों के लंबित रहने के दौरान, कुछ अनुवर्ती घटनाएँ घटित हुईं- निर्णय: मामला बाद की घटनाओं के मद्देनजर उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है और चूँकि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई दलील के अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उद्यमी ने यह दावा किया था कि उसने श्रृंखला के हस्तांतरण का कानूनी अधिकार कैसे प्राप्त किया-कोयला नियंत्रण आदेश, 2000-खंड 6

उतरदाता ने धुआँ रहित ईंधन के उत्पादन के लिए एक इकाई स्थापित की थी, अपीलकर्ता द्वारा एक विज्ञापन के माध्यम से नए उद्यमियों को नई धुआँ रहित ईंधन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए आमंत्रित करने के लिए किए गए अभ्यावेदन पर, उन्हें कोयले की आपूर्ति का आश्वासन दिया गया था। उतरदाता को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की कोयला खदानों के साथ कोयला श्रृंखला दिया गया था। एक बैठक में, एसएसएफ संयंत्रों के श्रृंखला की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया ताकि श्रृंखला को युक्तिसंगत बनाया जा सके ताकि इकाइयों को एसएसएफ ग्रेड कोयले वाले निकटतम उपयुक्त स्रोतों से आपूर्ति मिल सके।

बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर, उतरदाता ने अपने श्रृंखला को

बीसीसीएल से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया। इसे इस नीति के मद्देनजर अस्वीकार कर दिया गया कि एक बार यह प्रदान कर दिए जाने के बाद, यह स्थायी प्रकृति का होगा। हालाँकि, श्रृंखला का 50% तक अस्थायी हस्तांतरण उतरदाता और एक अन्य कंपनी को दिया गया था। उतरदाता ने रिट याचिका में अस्थायी हस्तांतरण के आदेश पर सवाल उठाया था। रिट याचिका लंबित रहने तक, सीआईएल ने दूसरी कंपनी के पक्ष में श्रृंखला का स्थायी परिवर्तन प्रदान किया, लेकिन उतरदाता को नहीं, इस तथ्य के बावजूद कि सीसीएल ने दोनों इकाइयों को एक सामान्य पत्र द्वारा 'अनापत्ति' प्रमाण पत्र दिया था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति देते हुए अपीलकर्ता को बीसीसीएल से सीसीएल को कोयले का श्रृंखला स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इसलिए वर्तमान अपीलें।

अपीलों के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, उतरदाता की इकाई का निरीक्षण किया गया और उसकी प्रतिवेदन दर्ज की गई। इस बीच, इस न्यायालय द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से कोयला बेचने के बदले हुए नीतिगत निर्णय के संबंध में श्रृंखला के प्रश्न पर विचार किया गया।

अपीलों को स्वीकार करते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को भेजते हुए, न्यायालय ने निर्णय दिया: 1. चूँकि उद्यमी का अधिकार कोल इंडिया लिमिटेड के नीतिगत निर्णय और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर कोयला नियंत्रण आदेश, 2000 के खंड 6 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए निर्देशों से जुड़ा होना चाहिए, इसलिए उतरदाता को अपनी रिट याचिका में यह भी आवश्यक कथन करना आवश्यक था कि उसने श्रृंखला के हस्तांतरण के संबंध में कानूनी अधिकार कैसे प्राप्त किया। पक्षकारों की दलीलें इस न्यायालय के समक्ष नहीं हैं। कुछ बाद की घटनाएँ भी घटित हुई हैं। यदि उतरदाता यहाँ मांगी गई अनुतोषों का हकदार हो भी जाता है, तो भी अपीलकर्ता को इस

संबंध में एक अवसर दिया जाना आवश्यक है। उतरदाता ने इस न्यायालय के समक्ष भेदभाव के प्रश्न उठाए हैं जिन पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, विचारणीय प्रश्नों में से एक यह होगा कि क्या सीआईएल का नीतिगत निर्णय प्रतिज्ञात्मक प्रतिषेध के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पूर्व के नीतिगत निर्णय के अंतर्गत आएगा। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में कई अन्य कारकों को भी अभिलेख में लाया गया है। इस न्यायालय के लिए उक्त प्रश्न पर विचार करना संभव नहीं है, विशेष रूप से पक्षकारों की दलीलों के अभाव में। (कंडिका 20 और 21) (798-ए, बी, सी, डीजे)

2. इसलिए, यदि उच्च न्यायालय को मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया जाता है, तो न्याय हित में होगा। पक्षकार रिट कार्यवाही में अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने के हकदार होंगे। उतरदाता बाद की घटनाओं को देखते हुए अपनी रिट याचिका में संशोधन कर सकता है। ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय न केवल रिट याचिका में की गई मूल प्रार्थना के परिप्रेक्ष्य से मामले पर विचार करेगा, बल्कि निरीक्षण समिति की प्रतिवेदन सहित बाद की घटनाओं को देखते हुए उतरदाता को उपलब्ध होने वाली अनुतोषों पर भी विचार करेगा। [कंडिका 22) (798-ई, एफ)

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 816, 2001, पटना रांची पीठ, रांची के उच्च न्यायालय के दिनांक 14.10.1999 के निर्णय एवं आदेश से, एल.पी.ए. संख्या 415/1999 (आर)

साथ में

दीवानी अपील संख्या 817/2001 और अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 547-548/2002

विकास सिंह, एएसजी, पी.पी. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनिप सच्थे, मोहित पॉल, अरिजीत प्रसाद, कृष्ण महाजन, आर.एस. राणा, वी.के. वेन्ना, राणा मुखर्जी, एस. चंद्र शेखर,

अमित कुमार, कृष्णानंद पांडेया उपस्थित पक्षों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **एस.बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति** द्वारा सुनाया गया।

1. ये अपीलें झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 9.7.1999 के आदेश, दिनांक 9.8.1999 के आदेश, सितंबर, 1999 के आदेश, दिनांक 23.9.1999 के आदेश और साथ ही एलपीए संख्या 415/1999 (आर) में पारित खंडपीठ के 14.10.1999 के आदेश के विरुद्ध हैं, जिसमें उक्त न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उतरदाता द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए पारित रिट याचिका में दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। मामले का मूल तथ्य विवादित नहीं है। उतरदाता ने धुआँ रहित ईंधन के उत्पादन के लिए एक इकाई स्थापित की है। उक्त उद्योग उतरदाता द्वारा कथित रूप से एक अभ्यावेदन के आधार पर स्थापित किया गया था अपीलकर्ता द्वारा एक विज्ञापन के माध्यम से नए उद्यमियों को नई धुआँरहित ईंधन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया था जिसके लिए उन्हें कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी, जिसका आशय निम्नलिखित है:

"धुएँ को "ना" कहें

क्या आप जानते हैं? आपके चूल्हों से निकलने वाला धुआँ गंभीर वायु प्रदूषण पैदा कर रहा है जिससे आपके बच्चे के साँस लेने वाली हवा को खतरा हो रहा है।

विशेष धुआँरहित ईंधन (एसएसएफ)

धुएँदार सॉफ्ट कोक और जलाऊ लकड़ी का एक किफायती विकल्प, यह निरंतर ऊष्मा उत्पन्न करता है जिससे ईंधन की खपत कम होती है। इसका एकसमान आकार सुविधाजनक भंडारण भी सुनिश्चित करता है। एसएसएफ के उपयोग से जलाऊ लकड़ी के लिए पेड़ों की व्यापक कटाई और वर्तमान वनों की कटाई में कमी आएगी। कोल इंडिया अब

पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और वनरोपण को प्रोत्साहित करने के मिशन पर है, और उद्यमियों को नई एसएसएफ इकाइयाँ स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए आमंत्रित कर रही है। 8 एसएसएफ इकाइयाँ पहले ही चालू हो चुकी हैं। सीआईएल ने 80 इकाइयों के लिए श्रृंखला को पहले ही मंजूरी दे दी है। सीआईएल जल्द ही 25 और इकाइयों के लिए श्रृंखला को अंतिम रूप देगा।

सीआईएल एसएसएफ इकाइयों के विस्तार और नए उद्यमियों के लिए कोयला श्रृंखला हेतु अतिरिक्त कोयला आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। हमें राज्य प्रायोजित प्राधिकरणों के माध्यम से लिखें।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: सीएमपीडीआईएल, रांची/तकनीकी प्रकोष्ठ, कोल इंडिया लिमिटेड, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-70000 ।, दूरभाष: 206312, 207817

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स"

2. उतरदाता ने बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित अपनी औद्योगिक इकाई में कोयले की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए श्रृंखला सुविधा प्रदान करने हेतु आवेदन किया था। उसे कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की कोयला खदानों के साथ कोयला श्रृंखला प्रदान किया गया था।

3. 17.11.1993 को या उसके आसपास एक बैठक में, जिसमें बीआईसीआईसीओ की सहायक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों और मूल्यांकन विनिर्माता संघ के सचिव ने भाग लिया, यह निर्णय लिया गया।

(क) कोयला श्रृंखला का स्रोत

यह निर्णय लिया गया कि एसएसएफ संयंत्रों के श्रृंखला की समीक्षा की जाएगी सीआईएल द्वारा एसएसएफ उत्पादन के लिए उपयुक्त कोयले की वर्तमान उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और श्रृंखला को युक्तिसंगत बनाने पर यथासंभव विचार किया जाएगा ताकि इकाइयों को एसएसएफ ग्रेड कोयले वाले निकटतम उपयुक्त स्रोतों से आपूर्ति मिल सके।

इस संबंध में, बीआईसीआईसीओ सीआईएल को एक वक्तव्य प्रस्तुत करेगा जिसमें बिहार में नई एसएसएफ इकाइयों को कोयले के श्रृंखला के लिए अपने सुझाव दिए जाएँगे।

4. उतरदाता ने दिनांक 17.11.1993 की उपर्युक्त बैठक में लिए गए उक्त निर्णय के अनुसार बीसीसीएल से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) को अपने श्रृंखला के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया, जिसमें बताया गया कि कारखाने का निर्माण केवल कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए आश्वासनों के आधार पर ही किया गया था। यद्यपि, कथित रूप से समान स्थिति वाले कुछ उद्योगों को अपीलकर्ता द्वारा बीसीसीएल से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को अपने श्रृंखला के हस्तांतरण का लाभ दिया गया था, लेकिन सीसीएल द्वारा परिवर्तन पर "अनापत्ति" दिए जाने के बावजूद उतरदाता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड ने श्रृंखला के संबंध में कथित नीतिगत निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि एक बार यह प्रदान कर दिया गया तो यह स्थायी प्रकृति का होगा। हालाँकि, 50% मात्रा तक श्रृंखला का अस्थायी हस्तांतरण उतरदाता मेसर्स पुष्पांजलि कोल एंड कोक दोनों को दिया गया था।

5. हालाँकि, कोल इंडिया लिमिटेड ने 9.10.1999 के आसपास एक निर्देश जारी किया कि उतरदाता को तीन महीने के लिए उसकी आपूर्ति का 50% बीसीसीएल से और 50% सीसीएल से दिया जाएगा। उक्त निर्णय की वैधता पर उतरदाता ने झारखंड उच्च

न्यायालय में दायर एक रिट याचिका में सवाल उठाया था, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि अपीलकर्ता को बीसीसीएल से सीसीएल में श्रृंखला परिवर्तन प्रदान करके कोयले का पूरा कोटा जारी करने का निर्देश दिया जाए। रिट याचिका लंबित है। हालाँकि, सीआईएल ने मेसर्स पुष्पांजलि कोल और बी. कोक के पक्ष में श्रृंखला का स्थायी परिवर्तन प्रदान किया, लेकिन उतरदाता को नहीं, इस तथ्य के बावजूद कि सीसीएल ने 17.7.1998 के एक सामान्य पत्र द्वारा दोनों इकाइयों को "अनापत्ति" दी थी।

6. उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया गया;

> ".. अब उतरदाता सीआईएल ने प्रति-शपथपत्र में यह तर्क दिया है कि सीआईएल के अधिकारियों ने 3.9.98 को हुई अपनी बैठक में एक नीतिगत निर्णय लिया कि एक बार श्रृंखला प्रदान कर दिए जाने के बाद, उसे सीआईएल की एक सहायक कंपनी से दूसरी सहायक कंपनी में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
>
> 9. मामले के संपूर्ण तथ्यों और उपर्युक्त दस्तावेजों पर गौर करने के बाद, यह स्पष्ट है कि सीआईएल द्वारा याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करना मनमाना और अनुचित है, खासकर तब जब याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई वैध कारण नहीं बताया गया है, खासकर तब जब मेसर्स पुष्पांजलि कोल एंड कोक प्राइवेट लिमिटेड के मामले पर विचार किया गया और उनका श्रृंखला बीसीसीएल से सीसीएल को स्थानांतरित कर दिया गया। प्रति-शपथपत्र में कहीं भी उतरदाता-सीआईएल ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि याचिकाकर्ता-इकाई को बीसीसीएल से कोयला खरीदने में कठिनाई हो रही है और आगे भी होगी, और उस नुकसान से भी इनकार नहीं किया है जो याचिकाकर्ता-इकाई को बीसीसीएल से कोयला खरीदने में होगा, जो उस स्थान से बहुत दूर है जहाँ संयंत्र स्थापित किया गया है।

इसके अलावा, राज्य सरकार और बीआईसीआईसीओ की सिफारिश पर विचार करने और सीसीएल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, उतरदाताओं के पास याचिकाकर्ता के अनुरोध को अनदेखा करने का कोई कारण नहीं है। यह सर्वविदित है कि जब उद्योग स्थापित होते हैं, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार और उसके तंत्रों का औद्योगिक नीतियाँ बनाते समय और कच्चे माल की आपूर्ति या विभिन्न प्रोत्साहनों के संबंध में नीतिगत निर्णय लेते समय उद्देश्य इकाई को प्रोत्साहित करना होना चाहिए।

7. यह निर्देश दिया गया;

"11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस रिट आवेदन का निपटारा किया जाता है उतरदाता-सी.आई.एल. के प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के मामले में भी उपरोक्त निर्देश और अवलोकन के आलोक में एक उदार और सकारात्मक निर्णय ले। ऐसा निर्णय इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/पेश होने की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर लिया जाना चाहिए।"

8. उतरदाता द्वारा स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* अपीलकर्ता को अपनी इकाई को केवल सेंट्रल कोलिफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खदानों से कोयला आपूर्ति करने का सकारात्मक निर्देश देते हुए एक रिट या परमादेश की प्रकृति का आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई थी। उक्त आवेदन का निपटारा दिनांक 9.8.1999 के एक आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें कहा गया था;

"मेरी राय में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन गलत है क्योंकि आदेश में पर्याप्त संकेत हैं कि उतरदाता इस तथ्य के आलोक में सकारात्मक निर्णय लेगा कि समान परिस्थितियों में *मेसर्स पुष्पांजलि कोल एंड कोक प्राइवेट लिमिटेड* द्वारा श्रृंखला

हस्तांतरण के लिए की गई प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया है। निर्णय के कंडिका 5 से यह भी स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने माना है कि सी.आई.एल. द्वारा याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करना मनमाना और उचित नहीं है।

उतरदाताओं को याचिकाकर्ता के पक्ष में सकारात्मक निर्णय लेने का निर्देश देने वाले आदेश में पर्याप्त संकेत को देखते हुए, मेरा विचार है कि इस आदेश में किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। श्री सिन्हा का यह तर्क कि यदि आदेश स्पष्ट नहीं किया जाता है, तो उतरदाता सी.आई.एल. याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय नहीं ले सकते, स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस न्यायालय ने वस्तुतः, दिनांक 9.7.99 के आदेश में, उतरदाताओं को याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना के अनुसार श्रृंखला स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

तदनुसार, इस आवेदन को उपरोक्त टिप्पणी के साथ निस्तारित किया जाता है।

9. इस प्रकार, उतरदाता का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। उपर्युक्त आधार पर, अपीलकर्ता द्वारा एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया था, जिसे भी यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया:

"पूरे तथ्यों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को कोयले का श्रृंखला देने के लिए कई अन्य विचारणीय बातें हैं, जिन्हें सी.आई.एल. से संपूर्ण दस्तावेज़ मंगवाकर प्रकाश में लाया जा सकता है। लेकिन, इस समय, मैं इस मामले की कोई व्यापक जाँच नहीं करना चाहता। इतना कहना ही पर्याप्त है कि श्री एस.एम. शर्मा को निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए ताकि यदि किसी अन्य मामले में इस न्यायालय के संज्ञान में कोई बात लाई जाए, तो उन्हें परेशानी में न डाला जाए।

आश्चर्य की बात है कि बिहार सरकार के उद्योग निदेशक ने अपने पत्र दिनांक 20.8.99 द्वारा, सीआईएल के बिक्री प्रबंधक को संबोधित करते हुए सूचित किया कि कुछ फर्मों को दिया गया अस्थायी पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है लेकिन इसके बावजूद उतरदाताओं ने उन फर्मों को सीसीएल से श्रृंखला प्रदान कर दिया है अपने दिनांक 25.8.99 के आदेश के माध्यम से, जिसकी एक प्रति प्रत्युत्तर के साथ अनुलग्नक ।/क के रूप में संलग्न है।

यह भी आश्चर्यजनक है कि उतरदाताओं ने एक नकारात्मक निर्णय लिया है और इस प्रकार इस न्यायालय के निर्देश का पालन करने से इनकार कर दिया है केवल इस आधार पर कि कई अन्य उपभोक्ता ऐसी अनुतोष के लिए आएंगे। मेरी राय में, यह इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश और निर्देश की अवहेलना का आधार नहीं हो सकता।

हालाँकि, उतरदाताओं की ओर से उपस्थित श्री बनर्जी द्वारा लिए गए इस निष्पक्ष रुख को देखते हुए कि उतरदाता 9.7.99 के निर्णय और 9.8.99 के बाद के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करेंगे और एक सकारात्मक निर्णय लेंगे, मैं इस आवेदन और उसके प्रत्युत्तर का यह कहते हुए निपटारा कर रहा हूँ कि उतरदाताओं को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दस दिनों के भीतर इस न्यायालय के आदेश और निर्देश का पालन करना होगा।

10. अपीलकर्ता द्वारा इसके विरुद्ध एक लेटर्स पेटेंट अपील दायर की गई थी जिसे दिनांक 14.10.1999 के आक्षेपित निर्णय के कारण सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया है। चूँकि विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 9.7.1999 के मूल आदेश के विरुद्ध कोई लेटर्स पेटेंट अपील दायर नहीं की गई थी, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इस न्यायालय में इसके विरुद्ध एक आवेदन सीधे दायर किया गया है जिसे एसएलपी(सी) संख्या

17145/2000 के रूप में चिह्नित किया गया है।

11. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने आक्षेपित निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वह उतरदाता के मामले पर दिनांक 14.2.2000 के पत्र के अनुसार विचार करे।

12. उतरदाता द्वारा समय-समय पर न्यायालय के समक्ष यह शिकायत की गई कि अपीलकर्ता अपनी इकाई को आवश्यक मात्रा में कोयला आपूर्ति नहीं कर रहा है, जिसके बाद विभिन्न आदेश पारित किए गए हैं जिनका हमें इस स्तर पर उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ अवमानना याचिकाएँ भी दायर की गई थीं। इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने दिनांक 29.1.2004 के आदेश H द्वारा यह टिप्पणी की

"हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को कुछ समय तक सुना है। कुछ चर्चा के बाद, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उन्हें निर्देश प्राप्त करने और दो बिंदुओं पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित समय दिया जा सकता है:

(i) कोयले की आपूर्ति के बकाया का भुगतान करना; और

(ii) भविष्य के लिए श्रृंखला संबंधी नीति को युक्तिसंगत बनाना।

इस संबंध में एक बयान प्रति सहित एक शपथपत्र पर उतरदाता अधिवक्ता को 24 फरवरी, 2004 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाए।

यदि कोई जवाब हो और लिखित रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, तो वह 16 मार्च, 2004 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

उपर्युक्त बयान और जवाब को किसी भी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना माना जाएगा।

23 मार्च, 2004 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।"

13. जब यह मामला 17.8.2006 को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो यह निर्देश दिया गया;

"उतरदातागण, इस तिथि से चार सप्ताह के भीतर, बैंक गारंटी और सुरक्षा प्रदान करेंगे जो कि उन्हें पहले ही कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए जा चुके कोयले की कीमतों में अंतर के संबंध में है, यदि कोई हो, *मेसर्स अशोक स्मोकलेस कोल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* (एसएलपी(सी) संख्या 20471/2005) में इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार। अपीलकर्ता, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को उतरदाता के कारखाने को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी भी कोयला खदान से कोयले की आपूर्ति के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगा, जो निश्चित रूप से उपलब्धता के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों, यदि कोई हो, के अधीन होगा। केवल उस स्थिति में, जब सीसीएल के लिए कोयले की आपूर्ति करना संभव न हो, बीसीसीएल से संबंधित कोयला खदानों से कोयले की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया जा सकता है।

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत है कि भारत संघ को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। अधिवक्ता श्री सचथे द्वारा मौखिक प्रार्थना किए जाने पर, भारत संघ को कोयला मंत्रालय के माध्यम से पक्षकार बनाया जाता है। श्री सचथे हमें आश्वस्त करते हैं कि इस मामले की पेपर बुक की एक प्रति केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा प्रति-शपथपत्र दिनांक से चार सप्ताह के भीतर दायर किया जा सकता है। यदि कोई अवसर उत्पन्न होता है, तो इसका उल्लेख करने की स्वतंत्रता है।

हम यह भी निर्देश देते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड का एक अधिकारी उतरदाता के कारखाने का दौरा करेगा ताकि कोयले की वास्तविक वर्तमान आवश्यकता का आकलन किया जा सके। इसके बाद, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड से संबंधित किसी भी कोयला खदान से कोयले की आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों पर, यदि कोई हो, एक बैठक में विचार-विमर्श किया जा सकता है, जो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों और उतरदाता के एक प्रतिनिधि के साथ बुलाई जा सकती है।

10 अक्टूबर, 2006 को प्रस्तुत किया जाए।

अगली सुनवाई की तारीख पर, कोल इंडिया लिमिटेड का एक अधिकारी जिसे मामले में पूर्ण निर्देश प्राप्त हों, और उतरदाता का एक प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित रहेगा।"

14. उक्त आदेश के अनुसरण में, उतरदाता की इकाई का निरीक्षण किया गया था और कोल इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधकों द्वारा दिनांक 18.10.2006 को पुष्टि किए गए शपथपत्र के साथ एक प्रतिवेदन दायर की गई थी।

15. उतरदाता ने उक्त प्रतिवेदन पर आपत्ति दर्ज की। अपीलकर्ता द्वारा इस पर एक प्रत्युत्तर भी दायर किया गया है। इस बीच, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी पर कोयला बेचने के बदले हुए नीतिगत निर्णय के प्रश्न पर इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा *मेसर्स अशोक स्मोकलेस कोल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,* (2006) 13 स्केल 102 में विचार किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था:

"190. कोयला एक दुर्लभ वस्तु होने के कारण, जिस उद्देश्य के लिए

इसकी आवश्यकता है, उसके लिए इसकी उपयोगिता आवश्यक है। यद्यपि, तकनीकी रूप से, इस तथ्य को देखते हुए कि कोयले के लिए कोई मूल्य निर्धारित नहीं है, तकनीकी अर्थों में कोई कालाबाजारी नहीं हो सकती है; लेकिन यह न्यायालय सामान्य अर्थों में भी कालाबाजारी को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। किसी को भी दुर्लभ वस्तु के साथ व्यवहार करते समय अनुचित लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह तथ्य कि केंद्र सरकार के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, कोयला कंपनियां लोगों के एक वर्ग के खतरे को कम करने में विफल रहीं और अन्य सामान्य लोगों को छोड़कर कोयले का व्यापार करने में विफल रहीं या संबंधित उपभोक्ता कोयले का आवंटन प्राप्त करने के अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह नितांत आवश्यक है कि खामियों को दूर करने के लिए कोई तंत्र खोजा जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत संघ या कोयला कंपनियों का राज्य सरकारों पर से विश्वास उठ गया है। उन्होंने संयुक्त निरीक्षण किया था और उस प्रक्रिया में वे उन औद्योगिक इकाइयों के दावों की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हो गए होंगे जिनके लिए श्रृंखला प्रणाली बनाई गई थी।

191. हमारे समक्ष अधिकांश उपभोक्ताओं ने कोयले की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे। उक्त दस्तावेज़ों की कोयला कंपनियों के अधिकारियों द्वारा जाँच की जानी चाहिए। यदि उन्हें कोई संदेह हो, तो संबंधित कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र में इकाई स्थित है।

192. एक व्यवहार्य नीति विकसित करने के उद्देश्य से, भारत संघ द्वारा एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसके अध्यक्ष कोयला सचिव हों। ऐसी समिति में, कोयले के एक तकनीकी विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि अधिकांश परियोजनाओं में कोयले के उपभोक्ता, विशेष रूप से हार्ड कोक और धुआंरहित ईंधन के

निर्माता शामिल होते हैं। हमारी राय में, निवेश और उत्पादन के अनुपात के संबंध में, इसमें प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए, शेष राशि और 10% मार्जिन के साथ, यह पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। केवल ऐसे निष्कर्ष के आधार पर, पाँच वर्षों की आवश्यकताओं के अलावा, आपूर्ति को एमपीक्यू का आधार बनाया जाना चाहिए। हालाँकि, हम यह जोड़ना चाहेंगे कि केंद्र सरकार कोयला कंपनियों के साथ मिलकर ऐसी नीति विकसित करने के लिए स्वतंत्र होगी जो कोयला उपभोक्ताओं के हितों के साथ-साथ जनहित की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी। वे ऐसे मानदंड निर्धारित करने के हकदार होंगे जो उचित और उपयुक्त लगें। वे इसके लिए उचित मानदंड तय करने के हकदार होंगे। यदि कोई औद्योगिक इकाई मानदंडों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए।"

16. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अपर सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि उक्त निर्देश के अनुसरण में एक समिति गठित की गई है और उम्मीद है कि कुछ ही हफ्तों में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दी जाएगी। हालाँकि, हमारे लिए मामले के उस पहलू पर विचार करना आवश्यक नहीं है। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिप सच्थे ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने एक परमादेश रिट जारी करके स्पष्ट त्रुटि की है जिसमें अपीलकर्ता को बीसीसीएल से सीसीएल को कोयले का श्रृंखला स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। समिति की प्रतिवेदन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा सामना की जा रही कोयले की कमी को ध्यान में रखते हुए, इस तरह के निर्देश से श्रृंखला प्रणाली को कार्यान्वित करने में ही भारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि तथ्य के आधार पर भी उतरदाता का मामला ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहरी से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला खदानों की दूरी लगभग समान है।

17. दूसरी ओर, उतरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.पी. राव ने निवेदन किया कि:

(i) सीसीएल द्वारा दी गई 'अनापत्ति' के मद्देनजर, अब अपीलकर्ता के लिए यह कहना उचित नहीं है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड से कोयले की आपूर्ति से उसे भारी कठिनाई होगी।

(ii) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 1987 के अपने विज्ञापन और 17.11.1993 को हुई बैठक के कार्यवृत्त में दिए गए स्पष्ट प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, जिसके अनुसरण में और उसके आगे, अपीलकर्ता ने अपना धुआंरहित ईंधन उद्योग स्थापित करके भारी राशि का निवेश करके अपनी स्थिति बदल दी, इस मामले में वचनबद्ध रोक का सिद्धांत लागू होगा।

iii) कोयले की आपूर्ति के अनुदान के मामले में सीआईएल द्वारा लिए गए अनंतिम निर्णय के आलोक में, अर्थात बीसीसीएल से 50% और सीएलएल से 50%, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का निर्देश देकर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया गया है, क्योंकि उतरदाता को जिन भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही इससे जुड़े वित्तीय निहितार्थों को भी ध्यान में रखा गया है।

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक 'राज्य' होने के नाते अपीलकर्ता को अपने अधिकार क्षेत्र का उचित तरीके से प्रयोग करने का कर्तव्य सौंपा गया था।

(v) जब किसी राज्य को अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के मामले में किसी त्रुटि को सुधारने का अवसर दिया गया हो, तो उच्च न्यायालय किसी

दिए गए मामले में परमादेश रिट भी जारी कर सकता है।

18. *मेसर्स अशोक स्मोकलेस (उपरोक्त)* मामले में, इस न्यायालय ने ई-नीलामी पर कोयला बेचने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के परिवर्तित नीतिगत निर्णय के संदर्भ में श्रृंखला योजना की वैधता या अन्यथा पर विस्तार से चर्चा की है। उक्त निर्णय पर पहुँचते समय, इस न्यायालय ने इस प्रकार के मामले में वचनबद्धता के सिद्धांत की प्रयोज्यता सहित मामले के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार किया है।

19. हालाँकि, प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार के मामले में और विशेष रूप से अभिलेखों में लाई गई बाद की सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए, उतरदाता उसके द्वारा मांगी गई अनुतोषों का हकदार था या नहीं।

20. हमने इसके पूर्व विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का अवलोकन किया है। चूँकि उद्यमी का अधिकार कोल इंडिया लिमिटेड के नीतिगत निर्णय और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर कोयला नियंत्रण आदेश, 2000 की धारा 6 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए निर्देशों से जुड़ा है, इसलिए उतरदाता को भी अपनी रिट याचिका में आवश्यक कथन प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी कि उसने श्रृंखला के हस्तांतरण के संबंध में कानूनी अधिकार कैसे प्राप्त किया। पक्षों की दलीलें हमारे समक्ष नहीं हैं। हमने इसके पूर्व अवलोकन किया है कि कुछ बाद की घटनाएँ भी घटित हुई हैं। यदि उतरदाता यहाँ मांगी गई अनुतोषों का हकदार हो भी जाता है, तो भी इस संबंध में अपीलकर्ता को भी एक अवसर दिया जाना आवश्यक है। उतरदाता ने हमारे समक्ष भेदभाव के प्रश्न उठाए हैं जिन पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, विचारणीय प्रश्नों में से एक यह होगा कि क्या सीआईएल का नीतिगत निर्णय, प्रतिज्ञात्मक प्रतिषेध के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, पूर्व के नीतिगत निर्णय के अंतर्गत आएगा।

21. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में, पूर्व में

उल्लेखित कई अन्य कारकों को अभिलेख में दर्ज किया गया है। हमारे लिए उक्त प्रश्न पर विचार करना संभव नहीं है, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि पक्षकारों की दलीलें हमारे समक्ष नहीं हैं।

22. इसलिए, हमारा मत है कि यदि उच्च न्यायालय को मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया जाता है, तो न्याय का हित सुरक्षित रहेगा। पक्षकार रिट कार्यवाही में अतिरिक्त हलफनामा दायर करने के हकदार होंगे। उतरदाता बाद की घटनाओं को देखते हुए अपनी रिट याचिका में संशोधन कर सकता है। ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय न केवल रिट याचिका में की गई मूल प्रार्थना के परिप्रेक्ष्य से मामले पर विचार करेगा, बल्कि निरीक्षण समिति की प्रतिवेदन सहित बाद की घटनाओं को देखते हुए उतरदाता को उपलब्ध होने वाली अनुतोषों पर भी विचार करेगा। जब तक उच्च न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित नहीं किया जाता, कोयले की आपूर्ति के संबंध में आज की *यथास्थिति* बनी रहेगी। चूँकि मामले उच्च न्यायालय को भेजे जा रहे हैं, इसलिए हमारा अवमानना याचिका में कोई अलग आदेश पारित करने का इरादा नहीं है। इसलिए, अपीलें स्वीकार की जाती हैं और मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हुए मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। हालाँकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील स्वीकार की जाती है।

के.के.टी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।